कार्यालय जिला कलक्टर (लोक सेवायें), बारां

क्रमांकः लोकसेवायें/संविदा/20/0 दिनांकः–

सूचना

उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 16(39)आरपीजी/लोसेगाअ/2018 जयपुर, दिनांक 24.02.2020 से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार निदेशक, पब्लिक सर्विसेज के अधीनस्थ बारां जिले में सहायक निदेशक, लोक सेवायें, बारां में 1 लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदो के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति पर सेवानिवृत राजकीय सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में विहित शर्तो पर समेंकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति सेवायें प्रथमतः एक वर्ष दिनांक 1.03.2020 से 28.02.2021 तक की समयावधि या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने, जो भी पहले हो तक के लिये जाने की सहमति दी जाने के फलस्वरूप इस हेतु निर्धारित योग्यता के सेवानिवृत कार्मिकों से दिनांक 17.08.2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. आवेदन कार्मिक विभाग (क–2) विभाग के परिपत्रों के साथ निर्धारित प्रपत्र में करना है जो कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवायें, बारां से प्राप्त किये जा सकते है।
2. विधिवत भरे हुये आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतन भत्तों के संबंध में विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र, एलपीसी की प्रति एवं पीपीओं की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
3. उक्त रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) भरा जावेगा।

—Sd—
(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांकः : लोकसेवायें/संविदा/20/21-46 दिनांकः– 28/07/2020

1. श्रीमान उपशासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, जन अभियोग निराकरण, विभाग जयपुर।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी (स्थापना), कलक्ट्रेट, बारां
4. जिला स्तरीय अधिकारी (समस्त) ....
5. उपखण्ड अधिकारी बारां/अंता/अटरू/मांगरोल/किशनगंज/शाहबाद/छबड़ा/छीपाबड़ोद
6. तहसीदार बारां/अंता/अटरू/मांगरोल/किशनगंज/शाहबाद/छबड़ा/छीपाबड़ोद
7. लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट, बारां
8. कोषाधिकारी, बारां
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का प्रेस नोट तैयार कर समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवावें।
10. अध्यक्ष, पेंशनर्स समाज जिला बारां
11. नोटिस बोर्ड

जिला कलक्टर,
बारां